

23.09.2022:—आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री जगतार सिंह चानी उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपना वादपत्र आगे नहीं चलाना चाहते। इसलिए पत्रावली में विज्ञो का अंकन लगाकर पत्रावली दफ्तर दाखिल के आदेश फरमावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Original

